

# डा० अम्बेडकर और दलित इतिहास का विमुक्ति संघर्ष



## ज्योति टाम्टा

सहायक प्राध्यापक,  
इतिहास विभाग,  
मोतीराम बाबू राजकीय  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
हल्द्वानी, नैनीताल, भारत

### सारांश

दलित वह है, जिनका दारुण, दलन, दोहन, शोषण होता रहा है। शोक जिसका आहार, अश्रु जिसका उद्गार, अभिशाप जिसका उपहार, बहिष्कार जिसका सत्कार, बेगार जिसका नित्य त्योहार, दुत्कार, फटकार एवं तिरस्कार जिसका पुरस्कार, दीनता जिसकी गृहिणी, दासता जिसकी भगिनी, अस्पृश्यता जिसकी संगिनी, मौन जिसकी वाणी, कंदन जिसकी कहानी और वेदना रानी रही है वह वर्ग दलित है।

ऐसे शोषित, दमित वर्ग की समस्या का डॉ० बी० आर० अम्बेडकर ने सामाजिक यथार्थ के रूप में चित्रित किया। उनकी इस स्थिति के ऐतिहासिक कारण खोजने से ज्ञात होता है कि उनकी पद्धति गांधी एवं अन्य समाज सुधारकों की भाँति नैतिक हृदय परिवर्तन पर आधारित नहीं थी बल्कि दलितों व शोषितों के रक्षार्थ आवश्यक संवैधानिक प्रावधान किये जाने पर जोर देती थी। वे हिन्दू धर्म के सम्पूर्ण पक्षों में मानवीय सुधार लाना चाहते थे। समाज व्यवस्था में संशोधन नहीं वरन मौलिक परिवर्तन चाहते थे, जिसमें वर्ण और जाति आधार नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो।

**मुख्य शब्द** : दलित, दारुण, शोषण, बहिष्कार, तिरस्कार, वर्ग, समता।

### प्रस्तावना

डा० अम्बेडकर असाधारण प्रतिभा के धनी एवं एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक थे। उन्हें बाल्यकाल के दौरान ही जातिगत भेदभाव का समाना करना पडा था। हिन्दू महार जाति से आने वाले उनके परिवार को उच्च वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा गया था। आपने जीवन पर्यन्त अछूत होने का अपमान सहा। विदेश में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात डा० अम्बेडकर ने समाजिक भेदभाव के विरोध में आन्दोलन चलाया। डा० अम्बेडकर ने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था डा० अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर एक एक पूर्ण संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य भारत का निर्माण किया। वास्तव में डा० अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है।

### अध्ययन का उद्देश्य

डा० अम्बेडकर ने अपना जीवन गरीबों, शोषितों, अछूतों और परेशान वर्गों की भलाई के व्यतीत कर दिया। उक्त शोध आलेख में डा० बी० आ० अम्बेडकर द्वारा दलितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास के महत्त्व को प्रस्तुत किया है।

### विशय विस्तार

डा० अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई० में महाराष्ट्र के मऊ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी कपाल था जो 'आर्मी एजुकेशन सर्विस' में प्रधानाध्यापक थे तथा वे महाराष्ट्र की अहार जाति से सम्बन्ध रखते थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। डॉ० अम्बेडकर ने स्वयं अपने सम्पूर्ण जीवन में अनेक बार सामाजिक विभेद, तिरस्कार, दमन, अन्याय, शोषण का सहा था, अतः उन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। 1920 में डा० अम्बेडकर ने "मूकनायक" नामक मराठी पाक्षिक आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य दलितों में जागृति पैदा करना था। 1923 में डॉ० अम्बेडकर ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के साथ ही दलित मुक्ति आन्दोलन का परिदृश्य ही बदल गया। डॉ० अम्बेडकर

ने लौकिक धरातल पर एक ब्राह्मण और एक अछूत के बीच समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक है। इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से अलग अन्त्यज, अवर्ण अथवा पंचम वर्ण के रूप में दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा ईश्वर ने नहीं किया और यह सनातन धर्म भी नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी से तो समाज की परिधि के बाहर रहने नहीं आये थे। इन्हें समाज की धारा से अलग करने वाले लोग थे, जिन्होंने उनके अधिकारों को छीनकर अपने अधिकारों में वृद्धि की और शास्त्र, शस्त्र व सम्पत्ति के बल पर उन्हें अन्त्यज की स्थिति में पहुँचा दिया।

धर्म के सही स्वरूप को रेखांकित करते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा कि "वह धर्म नहीं मानसिक रूग्णता है जो गन्दे पशु को छूने की सलाह देता है, लेकिन मनुष्य को अछूत कहता है। जाति विशेष को धन, शस्त्र, शिक्षा उपार्जन से वंचित करता है। वह धर्म जो अनपढ़, गरीब को गरीब, बीमार को बीमार तथा मूर्ख को मूर्ख रहने की शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं सुनियोजित सामाजिक षडयंत्र है।" हिन्दू समाज की दूषित एवं धार्मिक भेदभाव की व्यवस्थाओं के विरुद्ध डॉ० अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों द्वारा सार्वजनिक स्थलों के उपयोग हेतु विभिन्न आन्दोलन किए गए। 1924 में त्रावणकोर स्टेट के दलितों ने वाइकोम मन्दिर के आसपास बनी सड़कों के उपयोग हेतु आन्दोलन किया, जिसमें उनको आंशिक सफलता मिली।

20 जुलाई, 1924 को डा० अम्बेडकर द्वारा दलितों के हितों के संवर्द्धन हेतु "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" की स्थापना की गई। 1927 में सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने का अधिकार पाने के लिए 18 मार्च, 1927 को महाड़ के कोलाबा जिले में अस्पृश्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें डॉ० अम्बेडकर ने अध्यक्षीय उद्बोधन ने दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने एवं गन्दी और बुरी आदतें त्यागने हेतु प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा का ही प्रतिफल था कि 2500 अस्पृश्यों में महाड़ के चावदार तालाब पहुँच कर पहली बार इसके पानी का सेवन किया। इस अवसर पर दलितों को मानवागत अधिकारों से वंचित करने एवं कुछ वर्णों के हित संरक्षित करने वाली विधि ग्रन्थ मनुस्मृति का डा० अम्बेडकर ने विरोध किया और उसे सार्वजनिक रूप से जलाया गया।

3 अप्रैल, 1927 को डा० अम्बेडकर ने मराठी के पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन आरम्भ किया। इसी वर्ष अमरावती के अम्बादेवी मंदिर में दलितों द्वारा प्रवेश किया गया। 1928 में डा० अम्बेडकर द्वारा "डिपस्टड क्लास एजुकेशन सोसायटी" (दलित वर्ग की शिक्षा समिति) का गठन किया। इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार करना था। 1929 में दलितों द्वारा बम्बई के गणपति प्रांगण में एवं 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया गया।

भारत के भावी संविधान निमाण हेतु इंग्लैण्ड में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में डा० अम्बेडकर ने भाग

लिया। 20 नवंबर, 1930 को इस सम्मेलन की बैठक में दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। डा० अम्बेडकर ने दलित वर्गों से किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव पर अपना पक्ष रखा एवं दलितों के अधिकारों के रक्षार्थ कुछ उपाय एवं शर्तें रखीं। इस गोलमेज सम्मेलन में डा० अम्बेडकर ने समान नागरिकता व समान अधिकारों को स्वतंत्र उपयोग एवं इनका हनन करने वालों को दण्ड की व्यवस्था और दलितों हेतु पृथक् निर्वाचक मण्डल की बात रखी। दलितों के सामाजिक बहिष्कार एवं अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान, विधान मण्डल में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा जाए आदि पर भी बल दिया। डॉ० अम्बेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषणों द्वारा सम्मेलन में अनुकूल प्रभाव पैदा किया।

गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि एकमत नहीं हुए। तत्पश्चात् ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय दिया जिसे "साम्प्रदायिक पंचाट" कहा जाता है। इसमें हरिजनों या दलित वर्गों को एक अलग अल्पमत माना गया। दलितों को अलग चुनाव पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा उन्हें साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। गाँधीजी ने इसे हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने की कोशिश माना तथा इसके विरुद्ध 20 सितम्बर, 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् 26 सितम्बर, 1932 को पूना पैक्ट हुआ जिसके अन्तर्गत दलितों के पृथक् निर्वाचनों का अन्त किया गया लेकिन उन्हें पहले की अपेक्षा सुरक्षित स्थान दिए गए एवं आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया।

13 अक्टूबर, 1935 को महाराष्ट्र के येवला नगर में अस्पृश्यों का सम्मेलन हुआ। इसमें डा० अम्बेडकर ने घोषणा की कि "मैं हिन्दू के घर में पैदा हुआ, क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किन्तु मैं हिन्दू धर्मावलम्बी रहकर नहीं मरूँगा।" इस सम्मेलन में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि अस्पृश्य समाज हिन्दू धर्म का त्याग कर ऐसा धर्म अपनाएँ जिसमें समाजिक और धार्मिक समता हो।

1937 में दलित वर्गों के हितों के रक्षार्थ एवं पूँजीवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ डॉ० अम्बेडकर ने "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" का गठन किया। 1942 के अखिल भारतीय दलित वर्ग के सम्मेलन में भाषण देते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा कि "खोये हुए अधिकार याचना में नहीं मिलते, इसके लिए सतत संघर्ष करना होगा। बलि बकरों की दी जाती है सिंह की नहीं।" 1946 में कैबिनेट मिशन के आगमन पर डा० अम्बेडकर ने दलित वर्गों का पक्ष इसके समक्ष रखा। जब भारतीय संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ, तब प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ० बी० आर० अम्बेडकर को बनाया गया। डॉ० बी० आर० अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भी अस्पृश्यता को कानूनन अपराध घोषित किया गया, साथ ही दलित वर्ग

के उत्थान हेतु संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया।

डा० अम्बेडकर ने माना कि नागरिक अधिकारों की प्राप्ति से दलितों की केवल लौकिक मुक्ति ही संभव है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण विमुक्ति एवं मानसिक, आध्यात्मिक दासता की समाप्ति हेतु हिन्दू धर्म का परित्याग आवश्यक है। अतः विश्व के पमुख धर्मों का डा० अम्बेडकर ने अध्ययन किया। इस्लाम व ईसाई धर्म के अनुयायियों ने डा० अम्बेडकर को अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत प्रयास किया, किन्तु डा० अम्बेडकर ने पाया कि बौद्ध धर्म ही वास्तविक धर्म की कसौटी पर खरा है, बौद्ध धर्म पूर्णतः भारतीय है। गौतम बद्ध न केवल भारत के उद्धारक थे, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के उन्नायक भी थे। अतः 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा अछूतों में एक नए जीवन का संचार कर उनमें एक नई उमंग पैदा कर दी। 6 दिसम्बर, 1956 को दमन, शाषण, अन्याय के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करने वाले महामानव डा० अम्बेडकर इस लोक से विदा हो गये।

### निश्कर्ष

उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय आकाश पर अम्बेडकर रूपी एक ऐसे मेघ का अवतरण हुआ जो गरजा भी, बरसा भी। डा० अम्बेडकर एक महान सामाजिक क्रान्तिकारी भी थे, जिन्होंने दलितों को दासता से मुक्ति दिलाई। उनके समाजिक विचारों का केन्द्र बिन्दु मनुष्य रहा। वे किसी विशिष्ट जाति या वर्ण के विरोधी नहीं बल्कि वर्ण और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। सामाजिक स्तर पर उनका मानना था कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था की समाप्ति और अन्तरजातीय विवाह से ही अछूतोद्धार संभव है। वह आधुनिक भारतीय नागरिक थे, जिन्होंने लोगों के सन्नग विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न डा० अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक साहित्यिक औद्योगिक सावैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

### संदर्भ सूची

किशोर कुणाल : दलित— देवो भव, प्रथम भाग, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2008, पृ० 1।  
बाबा साहेब डा० अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड— 16, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ० 1 (भूमिका)।

रामगोपाल सिंह : सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृ० 52।

द्वारका प्रसाद गुप्ता : महात्मा गांधी और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, ज्ञान भारती, दिल्ली, 1984, पृ० 118-119।

शमशेर सिंह : अम्बेडकर आन बुद्धिस्ट कन्वेंशन एण्ड इट्स इम्पैट, पृ० 185।

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड— 10, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ० 154।

एन० डब्लू० कुबेर : आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अंबेडकर, प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1990, पृ० 68।

सकुन पासवान प्रज्ञाचक्षु : केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं, अम्बेडकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ० 198, 200।

रामगोपाल सिंह : भारतीय दलितों की समस्याएं एवं उनका सामाधान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी: भोपाल 1986, पृ० 78-79।

बाबा साहेब डा० अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड—5, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ० 63।

कंवल भारती : दलित विमर्श की भूमिका, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2004, पृ०-88।

आर० सी० अग्रवाल : भारतीय संविधान का विकास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1998, पृ० 261।

सकुन पासवान प्रज्ञाचक्षु : केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं अम्बेडकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ० 202।

राजकिशोर : दलित राजनीति की समस्याएँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ० 11।

सूर्य नारायण रणसुभे : डा० बाबासाहेब अम्बेडकर, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ० 133।

माधवानन्द सारस्वत : भारत के ज्ञान पुंज डा० भीमराव अम्बेडकर, प्रियंका प्रकाशन, पिलानी, 2008, पृ० 164।

प्रताप चौधरी : डा० अम्बेडकर और दलित चेतना, विश्व भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 11।

राम आहुजा : भारतीय समाज, रसवत पब्लिकेशन जयपुर, 2000, पृ० 273-274।